फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत — संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

ग्राम सरपंच वगैरह —बनाम— उपवन संरक्षक वगैरह

किस्म मुकदमा : 75 भू—राजस्व अधि.

अपील संख्या 154 / 2025

GCMS No. 2025 / 205

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	न० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.10.2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली पर प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। यह अपील न्यायालय तहसीलदार नोहर के आदेश दिनांक 12.09.2025 के विरूद्ध एल.आर.एक्ट की धारा—75 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नोहर ने अपीलाधीन जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ के आदेश क्रमांक 1476 दिनांक 14.07.2000 की पालना में स्वीकृत किया गया है। जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ का आदेश क्रमांक 1476 दिनांक 14.07.2000 जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के मूल आदेश दिनांक 15.03.1979 एवं संशोधित आदेश दिनांक 05.08.1987 के क्रम जारी किया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के मूल आदेश दिनांक 15.03.1979 एवं संशोधित आदेश दिनांक 05.08.1987 के विरूद्ध एक अपील अनवानी ग्राम संरपच एवं प्रशासक पंचायत समिति ग्राम पंचायत धानसिया बनाम उपवन संरक्षक हनुमानगढ़ मुकदमा नंबर 152 / 2025 इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। जिसका निर्णय दिनांक 09.10.2025 किया जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर मूल आदेश दिनांक 15.03.1979 एवं संशोधित आदेश दिनांक 05.08.1987 की मूल अपील का निर्णय इस न्यायालय से हो जाने से उक्त मूल आदेश की पालना में दर्ज इंतकाल आदेश दिनांक 12.09.2025 के विरूद्ध की गई अपील सारहीन(Infructuous) हो जाती है। अतः अपील अपीलांट सारहीन (Infructuous) हो जाने पर इसी स्तर पर खारिज की जाती है। संभागीय आयुक्त बीकानेर	